कार्यकारी सारांश

1. अपनी विद्युत पारेषण परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए पावर ग्रिड ने समस्याओं से बचने, उन्हें न्यूनतम करने और उनके उन्मूलन के सिद्धांतों के आधार पर अपनी एक निगमित पर्यावरणीय और सामाजिक नीति तथा प्रक्रिया (ई एस पी पी) विकसित की है। यथालागू कानूनों, विधानों और भारत सरकार (जी ओ आई) के दिशानिर्देशों के अनुरूप वर्ष, 2009 में ईएसपीपी की समीक्षा की गई और इसे अद्यतन किया गया।

2. पावर ग्रिड की ईएसपीपी के आधार पर यह आरंभिक पर्यावरणीय मूल्यांकन रिपोर्ट (आई ई ए आर)[1] तैयार की गई है और देश की सुरक्षोपाय प्रणाली (सी एस एस) के इस्तेमाल हेतु सुरक्षोपाय की कार्य योजना (अनुबंध-6) विकसित की गई है। इसके बावजूद भी कि संभावित पर्यावरणीय प्रभाव ज्यादातर अस्थाई, पूर्वानुमेय और परिवर्तनशील हैं और उनका उन्मूलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के जरिए और / अथवा पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रबंधन योजना (ई ए एम पी),[2] (पूर्ववर्ती पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ई एम पी), ईएसपीपी का परिशिष्ट- XXX-A देखें) के माध्यम से किया जा सकता है और कोई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई आई ए) आवश्यक नहीं है।

3. एडीबी द्वारा वित्त पोषण के अधीन भाडला, राजस्थान में 16 पावर पार्कों के लिए पारेषण प्रणाली में निहित परियोजना घटकों में निम्नलिखित सब-स्टेशन और पारेषण लाइनें शामिल होंगी, जो राजस्थान राज्य से होकर गुजरेंगी;

पारेषण लाइनें :

- 162.466 किमी लंबी 765 केवी डी/सी भाडला (पीजी) - बीकानेर (पीजी) पारेषण लाइन (67 मीटर चौड़े मार्गाधिकार और अनुमानत: 421 टावर वाली)
- 23.148 किमी लंबी 400 केवी डी/सी (क्वाड) भाडला (पीजी) - भाडला (आरवीपीएन) पारेषण लाइन (46 मीटर चौड़े मार्गाधिकार और अनुमानत: 70 टावर वाली)

सब-स्टेशन

- 765 / 400 / 200 केवी भाडला (पीजी)
- 765 / 400 केवी बीकानेर (पीजी) सब-स्टेशन विस्तार

4. परियोजना घटकों से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव मार्गाधिकार की स्वीकृति और रखरखाव तक ही प्रतिबंधित होते हैं। पावर ग्रिड द्वारा कार्यान्वित की जा रही नवोन्मेशी टावर डिजाइन के विकास से मार्गाधिकार (आर ओ डब्ल्यू) की आवश्यकताएं 765 केवी एस/सी लाइन के लिए 85 मीटर से घटकर 64 मीटर और 400 केवी डी/सी लाइन के लिए 52 मीटर से घटकर 46 मीटर हो गई हैं। यहां तक कि ईएसपीपी और नवोन्मेशी डिजाइन के साथ कुछ अपशिष्ट प्रभावों की पूरी तरह से अनदेखी नहीं की

[1] एडीबी की पर्यावरणीय श्रेणी-ख परियोजनाओं के लिए आवश्यक सुरक्षोपाय दस्तावेज के समतुल्य। यह आईईएआर एडीबी के सुरक्षोपाय नीतिगत विवरण 2009 की अपेक्षाओं को पूरा करती है।

[2] "पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रबंधन योजना (ई ए एम पी)'' और "पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ई एम पी)'' दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इस प्रकार इस दस्तावेज में ईएएमपी को "ईएमपी'' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

जा सकती है। टावरों की कुल संख्या 491 होगी, जिससे कुल मिलाकर लगभग 0.0491 हेक्टेयर भूमि का नुकसान होने का अनुमान है, जो कि न के बराबर है और इससे भू-स्वामित्व बुरी तरह प्रभावित नहीं होगा। जैसा अनुमान लगाया गया है कि दोनों प्रस्तावित पारेषण लाइनों से 3648 वृक्ष[3] (3263 निजी वृक्ष और 385 सरकारी वृक्ष) प्रभावित होंगे। भाडला सब-स्टेशन के लिए चिन्हित की गई भूमि सरकारी भूमि है, जिसके लिए अधिग्रहण करना आवश्यक नहीं होगा।

5. पारेषण लाइन से जुड़ी परियोजनाएं पर्यावरणीय दृष्टि से स्वच्छ परियोजनाएं होती हैं और इनमें किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट, अपशिष्ट जल और खतरनाक पदार्थों के भूमि, वायु और जल में निस्तारण अथवा निपटान की प्रक्रिया शामिल नहीं होती है। इसीलिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम ओ ई एफ एंड सी सी) द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की अपेक्षाओं से इन्हें छूट दी जाती है। तथापि, जब पारेषण परियोजनाएं वन भूमि से होकर गुजरती हैं, तो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत संगत प्राधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। आरंभिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रस्तावित पारेषण लाइनों के साथ-साथ कोई भी वन क्षेत्र निहित नहीं है।

6. स्थानीय वन प्राधिकारियों के साथ परामर्श से वन क्षेत्र से होकर गुजरने वाली पारेषण लाइनों के मार्ग को अंतिम रूप देने और व्यापक सर्वेक्षण के पश्चात वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

7. परियोजना की पर्यावरण मूल्यांकन प्रक्रिया के एक अभिन्न भाग के रूप में जन भागीदारी और सामुदायिक परामर्श शुरू किए गए हैं। जनता को परियोजना के क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण पर सूचना दी जाती है। सर्वेक्षण के दौरान भी पावर ग्रिड के साइट कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी लोगों से मिलते हैं और पारेषण लाइनों के मार्ग के बारे में उन्हें जानकारी देते हैं। पारेषण लाइनों के पूरे मार्गों के आरंभिक सर्वेक्षण / जांच के दौरान जून, 2016 में 5 बार सार्वजनिक परामर्श और अनौपचारिक सामूहिक बैठकें की गईं। कार्यक्रम की व्यवस्था विचार-विमर्श सत्र के रूप में की गई और फसलों की क्षतिपूर्ति, मार्ग के संरेखण आदि विषयों पर लोगों के प्रश्नों के उत्तर लिए गए। ज्यादातर प्रतिभागी छोटे और सीमांत किसान थे। परामर्श प्रक्रिया की ग्रामीण जनों द्वारा प्रशंसा की गई, जो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए पावर ग्रिड की पारदर्शी नीति के बारे में जानकर बहुत खुश थे और उन्होंने पारेषण लाइन के निर्माण के दौरान अपना सहयोग प्रदान करने का वादा किया। ऐसे परामर्श की प्रक्रिया और इसके प्रलेखन को परियोजना के कार्यान्वयन और यहां तक कि प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) चरण पर भी जारी रखा जाएगा। पावर ग्रिड ने कुछ महिला प्रतिभागियों के साथ पहले ही परामर्श किए हैं। चूंकि सार्वजनिक परामर्श एक सतत प्रक्रिया है, अत: आगे किए जाने वाले परामर्श में भी महिला भागीदारी पर प्रमुखता के साथ जोर दिया जाएगा। पणधारकों को संगत सूचना हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी जाएगी।

---

[3] वृक्षों की उपर्युक्त संख्या सांकेतिक है और संगत लाइनों के आरंभिक सर्वेक्षण पर आधारित है तथा इनकी सही गणना व्यापक / जांच सर्वेक्षण के पश्चात की जाएगी।

8. शिकायत निवारण तंत्र (जी आर एम) ईएसपीपी प्रक्रियाओं के अनुसार होगा, जो बहुपक्षीय बैंकों के जीएमआर की तरह है। शिकायत निवारण तंत्र सामान्यतया फसल और वृक्षों की क्षतिपूर्ति प्रक्रिया में अंतर्निहित होता है। नोटिस जारी करने के बाद राजस्व विभाग के अधिकारी साइट की वास्तविक स्थिति के आधार पर और भू-स्वामी के परामर्श से क्षति का मूल्यांकन करते हैं। आरंभिक मूल्यांकन के पश्चात भू-स्वामी को एक मौका दिया जाता है कि यदि वह किए गए मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है, तो अपने दावे को प्रतिस्थापित कर सकता है। इसके अलावा, पावर ग्रिड के अधिकारी भी प्रभावित किसानों की शिकायतों का निराकरण करते हैं और उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को अग्रेषित किया जाता है। प्रस्तावित तंत्र स्थापित करने का यह आशय कदापि नहीं है कि प्रभावित लोग देश की न्यायिक अथवा प्रशासनिक व्यवस्था के तहत प्रयास नहीं कर सकते हैं। तथापि, अन्य शिकायतों और / अथवा पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित चिंताओं और परियोजना के समग्र पर्यावरणीय निष्पादन के लिए भी यह जीआरएम लागू होगा। पावर ग्रिड में परियोजना स्थल पर परियोजना प्रमुख इसके लिए संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करेंगे। शिकायतों को निगरानी रिपार्टों में शामिल किया जाएगा।

9. संभावित प्रभाव ज्यादातर अस्थाई हैं। किसी भी वन्य जीव अभ्यारण अथवा संरक्षित क्षेत्रों और पर्यावरणीय दृष्टि से अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को बचाने के लिए पारेषण लाइनों के मार्गों और सब-स्टेशन स्थल का चयन कर लिया गया है। परियोजना डिजाइन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रबंधकीय पद्धतियों को शामिल किया गया है। परियोजना के सभी घटकों का कार्यान्वयन और निगरानी ईएसपीपी तथा सुरक्षोपायों के लिए कार्य योजना के अनुरूप की जाएगी, जो एडीबी के सुरक्षोपाय नीतिगत विवरण (एस पी एस), 2009 के अनुरूप हैं।

10. परियोजना के लिए पावर ग्रिड क्रियान्वयन एजेंसी (ई ए) के रूप में कार्य करेगा। सभी चरणों पर पावर ग्रिड की परियोजनाओं के लिए निगरानी एक सतत प्रक्रिया है। पावर ग्रिड में निगमित केंद्र स्तर पर एक अलग पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन विभाग तथा क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रकोष्ठ (ई एस एम सी) है, जो पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों की निगरानी करते हैं। साइट स्तर पर पर्यावरणीय पहलुओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए ईएसएमटी उत्तरदायी होगा। परियोजना के पर्यावरणीय दृष्टि से कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं होंगे और इसे एडीबी सुरक्षोपाय श्रेणी के अनुसार श्रेणी-ख के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

11. लागत अनुमानों के साथ एक ईएमपी के साथ-साथ पर्यावरणीय निगरानी योजना इस आईईएआर का एक अभिन्न अंग है। ईएमपी का कार्यान्वयन पावर ग्रिड और आवश्यकतानुसार संविदाकारों द्वारा किया जाएगा। ईएमपी के कार्यान्वयन और सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई है, की स्थिति को दर्शाते हुए एक अर्धवार्षिक पर्यावरणीय निगरानी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसे पावर ग्रिड की वेबसाइट पर डाला जाएगा। यह निगरानी रिपोर्ट एडीबी को भी प्रस्तुत की जाएगी जिससे कि वह इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित कर सके। आईईएआर, ईएमपी और इनमें किए जाने वाले संशोधन और अद्यतनीकरण का भी प्रकटन किया जाएगा।